पंचदश बिहार विधान सभा

चतुर्थ सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-3

बुधवार, दिनांक-7 दिसम्बर, 2011 ई० ।

मानीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.30 बजे अपराह्न तक ।

[1] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 04 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।
(ii) 04 अल्पसूचित प्रश्न अनागत ।
(iii) 14 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।
(iv) 01 तारांकित प्रश्न क्रमांक 77 के उत्तर के लिए समय लिया गया ।
(v) 01 तारांकित प्रश्न क्रमांक 79 ग्रामीण कार्य विभाग को स्थानान्तरित ।
(vi) 171 तारांकित प्रश्न अनागत ।

आसन द्वारा सूचित किया गया कि सदन के प्रथम पाली के समाप्ति उपरांत कार्यमंत्रणा समिति की बैठक अध्यक्षीय कक्ष में होगी ।

[2] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया :-

(i) श्री अशोक कुमार सिंह
(ii) श्रीमती देवंती यादव
(iii) श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह
(iv) श्री प्रमोद कुमार
(v) श्री राजेश्वर राज
(vi) श्री संजय सिंह 'टाइगर'
(vii) श्री जनक सिंह
(viii) डा० दाउद अली
(ix) श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा
(x) श्री विजय कुमार सिन्हा
(xi) श्री विनोद प्रसाद यादव
(xii) श्री राहुल कुमार
(xiii) श्री कृष्णनन्दन पासवान
(xiv) श्री रामायण मांझी
(xv) श्रीमती लेशी सिंह

[3] <u>ध्यानाकर्षण सूचना</u> :-

(i) माननीय सदस्य श्री मंजीत कुमार सिंह एवं अन्य सभासदों की दिनांक 05.12.2011 से स्थगित स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को आसन द्वारा जाँच हेतु प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सौंपा गया ।

(ii) मा० सदस्य श्री परमानन्द ऋषिदेव से प्राप्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा इसके उत्तर के लिए 09.12.2011 तक का समय लिया गया ।

(iii) माननीय सदस्य श्री विनोद प्रसाद यादव एवं अन्य सभासदों से प्राप्त स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा इसके उत्तर के लिए 08.12.2011 तक का समय लिया गया ।

[4] <u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u> :-

(i) मा० मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा 'बिहार विधान मंडल (सदस्यों को कम्प्यूटर उपकरण की सुविधा) नियमावली, 2011' एवं 'बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2011' की एक-एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया ।

आसन द्वारा घोषणा की गई कि दोनों नियमावली की प्रतियाँ 14 दिनों तक सदन पटल पर रखे रहेंगे ।

(ii) मा० मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सदन पटल पर रखा गया ।

(iii) मा० सदस्य लोक लेखा समिति श्री मंजीत कुमार सिंह द्वारा समिति का 475वाँ एवं 477वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया ।

(iv) मा० सभापति सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति श्री विजय कुमार मिश्र द्वारा समिति का 179वाँ, 180वाँ एवं 181वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया ।

(v) मा० सभापति राजकीय आश्वासन समिति श्रीमती लेशी सिंह द्वारा समिति का 221वाँ, 222वाँ एवं 223वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया ।

(vi) सभा सचिव द्वारा चतुर्दश बिहार विधान सभा के राजकीय आश्वासन समिति का 211वाँ, 219वाँ एवं 220वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया ।

<u>(भोजनावकाश के बाद)</u>

समय 2.00 बजे अप० से 5.50 बजे अप० तक ।

[5] <u>कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन</u> :-

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा दिनांक 07.12.2011 को सम्पन्न कार्यमंत्रणा समिति के निर्णयों से सदन को अवगत कराया गया, जिसपर सदन की सहमति हुई ।

[6] <u>विधायी कार्य</u> :- <u>राजकीय विधेयक</u> :- **(i)** <u>बिहार लोकायुक्त विधेयक, 2011</u> :-

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा इसपर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक के खण्ड-26(1) में माननीय प्रभारी मंत्री के शुद्धि प्रस्ताव पर सदन की स्वीकृति हुई ।

माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र द्वारा सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया ।

माननीय सदस्य श्री राम लषण राम 'रमण' द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री अब्दुल गफूर एवं श्री सम्राट चौधरी द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया । माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया । जनमत जानने का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद सिंह का खण्ड 3, 4, 38, 56 एवं प्रस्तावना में संशोधन का प्रस्ताव एवं माननीय सदस्य श्री राम लषण राम 'रमण' का खण्ड-26 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ । मा० सदस्य श्री राम लषण राम 'रमण' द्वारा खण्ड-23 में संशोधन प्रस्ताव वापस लिया गया ।

माननीय मुख्यमंत्री हिन्दी संस्करण के त्रुटियों को इंगित किया गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री का खण्ड-3'क' में शुद्धि प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

इस बीच क्रमशः विधेयक के सभी खंड बारी-बारी से इसके अंग (खंड-3'क' एवं 26(1) यथा संशोधित) बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी एवं माननीय सदस्य श्री अवधेश कुमार राय द्वारा पक्ष रखा गया । सरकार की ओर से माननीय मुख्य मंत्री द्वारा पक्ष रखा गया । माननीय प्रभारी मंत्री के अनुरोध पर विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(ii) <u>बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त विधेयक, 2011</u> :- माननीय प्रभारी मंत्री श्री रमई राम द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री राम लषण राम 'रमण' का खण्ड 4, 15, 20, 22 एवं 26 में संशोधन प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर दिया गया । विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(iii) <u>बिहार भूमि दाखिल-खारिज विधेयक, 2011</u> :- माननीय प्रभारी मंत्री श्री रमई राम द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री राम लषण राम 'रमण' का खण्ड-5 में माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद सिंह का खण्ड 6 में तथा श्री भाई वीरेन्द्र का खण्ड-9 में संशोधन प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । इस पर माननीय सदस्य श्री राम लषण राम 'रमण' द्वारा पक्ष रखा गया तथा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर दिया गया । विधेयक ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(iv) <u>बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011</u> :- माननीय प्रभारी मंत्री श्री पी०के० शाही द्वारा विधेयक सदन की सहमति से सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति की स्वीकृति उपरान्त खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । इसपर माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा अपना पक्ष रखा गया । माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया । विधेयक ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(v) <u>पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011</u> :- माननीय प्रभारी मंत्री श्री पी०के० शाही द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

[7] <u>निवेदन</u> :-

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल 22 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएँगें ।

तदुपरांत सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 08.12.2011 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना

दिनांक-07.12.2011

गिरीश झा

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।